

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 63 / 2022 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2/8/22	वादीगण की ओर से वाद पत्र तहत जरिये अभिभाषक श्री दीपक शर्मा द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक..... 24.8.22 को पेश हों।	
	28/11/25	पत्रावली आज वादिस पेशी से लेकर पेश डूबी पत्रावली के निम्न कार्रवाई में दिनांक 30/11/25 को पेश है।	
	30/11/25	पत्रावली पेश डूबी वसिल वसि उपस्थित नहीं आया। आज के वर-वार आज (30/11/25) को भी कोई उपस्थित नहीं। डूब दावा डूब वसि एवं डूब डूब डूब डूब खोज निकाला है पत्रावली पेश डूब डूब वसिल वसि वसिल वसिल है।	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) सजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)